रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 522] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 1977/अग्रहायण 18, 1899
No. 522] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 1977/AGRAHAYANA 18, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

*New Delhi, the 9th December* 1977

S. O 828 (E).—The following Order made by the President published for general information:—

ORDER

Whereas the Vice-President acting as President had on 11th May, 1977 made an Order suspending for a period of seven months from that date the operation of certain provisions of the Government of Union Territories Act, 1963 (20 of 1963), (hereinafther referred to as "the Act") in relation to the Union territory of Mizoram, and making certain incidental and consequential provisions which appeared to him to be necessary and expedient for administering the Union territory of Mizoram in accordance with the provisions of article 239 of the Constitution during the aforesaid period;

And whereas I have received a report from the Administrator of the Union territory of Mizoram and after considering the report and other information received by me I am satisfied that the situation in the Union territory continues to be such that the administration of that territory cannot be carried on in accordance with the provisions of the Act and that for the proper administration of that

Union territory it is necessary that the operation of the provisions of the Act suspended under the said Order should continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made therein should continue to operate beyond the period of seven months aforesaid;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 51 of the Act and all other powers enabling me in that behalf, I Neelam Sanjiva Reddy, President of India hereby direct—

(a) that the operation of the provisions of the Act suspended by virtue of clause (a) of the said Order shall continue to remain suspended and the incidental and consequential provisions made by virtue of clause (b) of the said Order shall continue to be operative for a further period of four months with effect from the 11th December, 1977, and

(b) that for the words "seven months" occurring in clause (a) of the said Order, the words "eleven months" shall be substituted.

New Delhi;
The 9th December, 1977.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President.

[No. U-11012/11/77-UTL]

M. L. KAMPANI, Jt. Secy.

## गृह मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 1977

का० आ० 828(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

### आदेश

यतः राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए, उपराष्ट्रपति ने 11 मई, 1977 को एक आदेश किया था जिसमें मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 1963 (1963 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात "अधिनियम" कहा गया है) के कतिपय उपबन्धों का प्रवर्तन उक्त तारीख से सात मास की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया था और जिसमें पूर्वोक्त अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 239 के उपबन्धों के अनुपरण में मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के लिए ऐसे कतिपय आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बनाए गए थे, जो उन्हें आवश्यक और समीचीन प्रतीत हुए;

और यतः मुझे मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और मुझे प्राप्त रिपोर्ट तथा अन्य जानकारी पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह समाधान हो गया है कि संघ राज्यक्षेत्र में ऐसी स्थिति जारी है कि उस राज्यक्षेत्र का प्रशासन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता और यह कि संघ राज्यक्षेत्र के उचित प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि उक्त आदेश के अधीन निलम्बित किया गया अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन निलम्बित बना रहना चाहिए और उसमें बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध पूर्वोक्त सात मास की अवधि के परे प्रवर्तित रहने चाहिए;

अतः, अब, मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, अधिनियम की धारा 51 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त मुझे समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देता हूं कि—

(क) उक्त आदेश के खण्ड (क) के आधार पर निलम्बित किया गया अधिनियम के उपबन्धों का प्रवर्तन निलम्बित बना रहेगा और उक्त आदेश के खण्ड (ख) के आधार पर बनाए गए आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध 11 दिसम्बर, 1977 से और चार मास की कालावधि के लिए प्रवृत्त बने रहेंगे; और

(ख) उक्त आदेश के खण्ड (क) में आने वाले "सात मास" शब्दों के स्थान पर "ग्यारह मास" शब्द रखे जाएंगे ।

नई दिल्ली;
9 दिसम्बर, 1977

नीलम संजीव रेड्डी,
राष्ट्रपति ।

---

[सं० य०—11012/11/77-यू०टी०एस०]

म० ला० कम्पानी, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977